

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हरतक, 1942 का नियम - 129)

सिप्रियन मुण्डा वगै०  
बनाम  
अवधेश कुमार सिंह वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक जिला - गुमला

वाद सं० :- 07 / 2018-19

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

5/2/21  
आवेदक श्री सिप्रियन मुण्डा वगै० ग्राम-अमतीपानी थाना-गुरदरी जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-49 के अर्न्तगत अपनी रैयती भूमि को 20 वर्षों की लीज में देने के लिए अनुमति आवेदन दिया गया है।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अभिरुची नहीं रह गई है।

अतः अनुमति वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संश्लेषित

उपायुक्त,  
गुमला

उपायुक्त,  
गुमला